No.44/19/2004-D(RE)
Government of India
Ministry of Power
.....

Shram Shakti Bhwan, Rafi Marg
New Delhi 110001,

Dated 18th .March, 2005

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna - Scheme of Rural Electricity Infrastructure and Household Electrification

.....

Approval of the President is conveyed for the "Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna - Scheme of Rural Electricity Infrastructure and Household Electrification" for the attainment of the National Common Minimum Programme (NCMP) goal of providing access to electricity to all households in five years.

2. The scheme would be implemented through the Rural Electrification Corporation (REC).

3. Ninety per cent capital subsidy would be provided for overall cost of the projects under the scheme.

4. The present approval is for implementation of Phase I of the scheme for capital subsidy of Rs.5000 crores during the 10th Plan period.

5 States must make adequate arrangements for supply of electricity and there should be no discrimination in the hours of supply between rural and urban households.

6 For projects to be eligible for capital subsidy under the scheme, prior commitment of the States would also be obtained before sanction of projects under the scheme for:

(i) deployment of franchisees for the management of rural distribution in projects financed under the scheme, and

(ii) the provision of requisite revenue subsidies to the State Utilities as required under the Electricity Act, 2003.

7. **SCOPE OF THE SCHEME**

Under the scheme, projects could be financed with capital subsidy for provision of -

7.1. **Rural Electricity Distribution Backbone (REDB)**

- Provision of 33/11 KV (or 66/11 KV) sub-stations of adequate capacity and lines in blocks where these do not exist.

7.2 **Creation of Village Electrification Infrastructure (VEI)**

- Electrification of un-electrified villages.
- Electrification of un-electrified habitations
- Provision of distribution transformers of appropriate capacity in electrified villages/ habitation(s).

7.3. **Decentralised Distributed Generation (DDG) and Supply**

- Decentralised generation cum-distribution from conventional sources for villages where grid connectivity is either not feasible or not cost effective provided it is not covered under the programme of Ministry of Non-conventional Energy Sources for providing electricity from non-conventional energy sources under their remote village electrification programme of 25000 villages.

7.4 REDB, VEI and DDG would also cater to the requirement of agriculture and other activities including

- irrigation pumpsets
- small and medium industries
- khadi and village industries
- cold chains
- healthcare
- education and IT.

This would facilitate overall rural development, employment generation and poverty alleviation.

7.5. **Rural Household Electrification of Below Poverty Line Households :**

Electrification of un-electrified Below Poverty Line (BPL) households would be financed with 100% capital subsidy as per norms of Kutir Jyoti Programme in all rural habitations. Households above poverty line would be paying for their connections at prescribed connection charges and no subsidy would be available for this purpose.

The over-all subsidy of components from paras 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 taken together should be kept within 90% of the over-all project cost. The over-all cost estimate of different components for all villages and house-hold are at the **Annexure-I.**

7.6 The project covers the entire country. The details of the unelectrified villages and households access to electricity as per census 2001 is in the **Annexure-II** and **Annexure-III .**

8. **Franchisees:**

In the management of rural distribution through franchisees who could be Non-Governmental Organisations (NGOs), Users Association, Cooperatives or individual entrepreneurs, the Panchayat institutions would be associated. The franchisees arrangement could be for system beyond and including feeders from substation or from and including Distribution Transformers(s).

9. **Revenue Sustainability**

Based on the consumer mix and the prevailing consumer tariff and likely load, the Bulk Supply Tariff (BST) for the franchisee would be determined after ensuring commercial viability of the franchisee. Wherever feasible, bidding may be attempted for determining the BST. This Bulk Supply Tariff would be fully factored into the submissions of the State Utilities to the State Electricity Regulatory Commissions (SERCs) for their revenue requirements and tariff determination. The State

Government under the Electricity Act is required to provide the requisite revenue subsidies to the State Utilities if it would like tariff for any category of consumers to be lower than the tariff determined by the SERC. While administering the scheme, prior commitments may be taken from the State Government regarding -

a) Determination of bulk supply tariff for franchisees in a manner that ensures their commercial viability.

b) Provision of requisite revenue subsidy by the State Government to the State Utilities as required under the Electricity Act .

10. The capital subsidy for eligible projects under the scheme would be given through REC. These eligible projects shall be implemented fulfilling the conditionalities indicated above. In the event the projects are not implemented satisfactorily in accordance with the conditionalities indicated above, the capital subsidy could be converted into interest bearing loans.

11. The services of Central Public Sector Undertakings (CPSUs) have been offered to the states for assisting them in the execution of Rural Electrification Projects as per their willingness and requirement. With a view to augment the implementation capacities for the programme, REC has entered into Memorandum of Understanding (MOUs) with NTPC, POWERGRID, NHPC and DVC to make available CPSUs' project management expertise and capabilities to states wishing to use their services. This is being operationalised through a suitable Tripartite Agreement.

12. Upto 1 per cent of the total subsidy under the scheme would be used for associated works / efforts of the programme linked to research, technology development, capacity building, information system development, awareness and other administrative and associated expenses and undertaking of pilot studies and projects complimentary to this rural electrification scheme.

13. This scheme merges the existing "Accelerated Electrification of One lakh villages and one crore households" and the Minimum Needs Programme for rural electrification.

14. The scheme will be subject to evaluation and a view on modification required for implementation during 11th Plan will be taken after a comprehensive review towards the end of 10th Plan.

15. The expenditure involved on above scheme would be debitable to the following Head under Grant No. 73- Ministry of Power for the year 2004-05 and the corresponding head of account for the subsequent years.

2801 Power(Major Head)
06.796 Rural Electrification-
3-. Rural Electrification Corporation
03.00.33- Subsidies

16. This issues with the concurrence of Finance Wing vide their diary No.3766/2005-JS&FA dated the 18th March, 2005.

(Ajay Shankar)
Additional Secretary to the Government of India
Tel.: 23715378

To,

1. The Chief Secretaries of all States
2. The Secretary, Power/Energy of all States
3. Chairman of all States (Utilities)
4. Chairman & Managing Director, REC, SCOPE Complex, New Delhi.

Copy to:

1) Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
2) Cabinet Secretary, Cabinet Sectt. , Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
3) Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure,(Plan Finance), New Delhi.
4) Chairman, Central Electricity Authority, R.K.Puram, New Delhi.
5) Secretary, Planning Commission, New Delhi.
6) Secretary, Ministry of Non-conventional Energy Sources, , New Delhi.
7) Secretary, Ministry of Rural Development , Krishi Bhawan, New Delhi
8) Secretary, Department of Panchayati Raj, New Delhi
9) Secretary, Ministry of Programme Implementation, New Delhi
10) Department of Development of North Eastern Region, ,N. Delhi
11) CMDs of NHPC, NTPC, POWERGRID, DVC
12) PPS to Secretary (P)/ PS to SS (P)/ AS(GC)
13) All JSs /All Directors / DS in the Ministry of Power.

(Ajay Shankar)
Additional Secretary to the Government of India
Tel.: 23715378

Annexure I

SCHEME ON RURAL ELECTRICITY INFRASTRUCTURE AND VILLAGE ELECTRIFICATION

COST ESTIMATES OF THE SCHEME

Rs. in crore

1.	Electrification of 125,000 un-electrified villages which includes interalia development of backbone network comprising Rural Electricity Distribution Backbone (REDB) and Village Electrification Infrastructure (VEI) and last mile service connectivity to 10% Households in the village @ Rs. 6.50 lakh/village	8,125
2.	Rural Households Electrification (RHE) of population under BPL i.e. 30% of 7.8 cr. Un-electrified Households /i.e 2.34 crore households @ Rs. 1500/H/H as per Kutir Jyoti dispensation	3,510
3.	Augmentation of backbone network in already electrified villages having un-electrified inhabitations @ Rs/1 lakh/village for 4.62 lakh villages	4,620 16,255
	Outlay for the scheme	16,000
	Subsidy component @ 90% for items 1& 3 and 100% for item 2	14,750
	Component of subsidy to be set aside for enabling activities including technology development @ 1% of outlay	160

Annexure -II

Status of Village Electrification as on 31.3.2004

Sl. No.	State	Total No. of inhabited villages as per 1991 census	Total No. of villages electrified	Balance unelectrified villages	% age of electrified villages
1	Andhra Pradesh	26586	26565	$	100
2.	Arunachal Pradesh	3649	2335	1314	64
3.	Assam	24685	19081	5604	77.30
4.	Bihar	38475	19251	19224	50
5.	Jharkhand	29336	7641	21695	26
6.	Goa	360	360	-	100
7.	Gujarat	18028	17940	$	100
8.	Haryana	6759	6759	-	100
9.	Himachal Pradesh	16997	16891	106	99.38
10	J&K	6477	6301	176	97.28
11.	Karnataka	27066	26771	295	98.91
12.	Kerala	1384	1384	-	100
13.	Madhya Pradesh	51806	50474	1332	97.43
14.	Chattisgarh	19720	18532	1188	94
15.	Maharashtra	40412	40351	-	100
16.	Manipur	2182	2043	139	93.63
17.	Meghalaya	5484	3016	2468	55
18.	Mizoram	698	691	7	99
19.	Nagaland	1216	1216	-	100
20.	Orissa	46989	37663	9326	80.15
21.	Punjab	12428	12428	-	100
22.	Rajasthan	37889	37276	613	98.38
23.	Sikkim	447	405	42	90.60
24.	Tamil Nadu	15822	15822	-	100
25.	Tripura	855	818	37	95.67
26.	Uttar Pradesh	97122	57042	40080	58.73
27.	Uttaranchal	15681	13131	2550	83.73
28.	West Bengal	37910	31705	6205	83.63
	Total (States)	586463	473892	112401	80.80
	Total UTs	1093	1090	$	100%
	All India	587556	474982	112401*	80.80%

$ Balance villages are not feasible for electrification.

* As per the new definition of village electrification (effective from 2004-05) total number of unelectrified villages is estimated to be around 1,25,000.

Annexure -III

HOUSEHOLDS(RURAL) HAVING ELECTRICITY - 2001 CENSUS

S. No.	S T A T E/U.T.	TOTAL NO. OF HOUSEHOLDS	HOUSEHOLDS HAVING	% ELECTRIFIED HOUSEHOLDS
	ALL INDIA	**138,271,559**	**60,180,685**	**43.52**
1	Andhra Pradesh	12,676,218	7,561,733	59.65
2	Arunachal Pradesh	164,501	73,250	44.53
3	Assam	4,220,173	697,842	16.54
4	Bihar	12,660,007	649,503	5.13
5	Jharkhand	3,802,412	379,987	9.99
6	Goa	140,755	130,105	92.43
7	Gujarat	5,885,961	4,244,758	72.12
8	Haryana	2,454,463	1,926,814	78.50
9	Himachal Pradesh	1,097,520	1,036,969	94.48
10	Jammu & Kashmir	1,161,357	868,341	74.77
11	Karnataka	6,675,173	4,816,913	72.16
12	Kerala	4,942,550	3,238,899	65.53
13	Madhya Pradesh	8,124,795	5,063,424	62.32
14	Chhattisgarh	3,359,078	1,548,926	46.11
15	Maharashtra	10,993,623	7,164,057	65.17
16	Manipur	296,354	155,679	52.53
17	Meghalaya	329,678	99,762	30.26
18	Mizoram	79,362	35,028	44.14
19	Nagaland	265,334	150,929	56.88
20	Orissa	6,782,879	1,312,744	19.35
21	Punjab	2,775,462	2,482,925	89.46
22	Rajasthan	7,156,703	3,150,556	44.02
23	Sikkim	91,723	68,808	75.02
24	Tamil Nadu	8,274,790	5,890,371	71.18
25	Tripura	539,680	171,357	31.75
26	Uttar Pradesh	20,590,074	4,084,288	19.84
27	Uttaranchal	1,196,157	602,255	50.35
28	West Bengal	11,161,870	2,262,517	20.27
29	A.& Nicobar Islands	49,653	33,807	68.09
30	Chandigarh	21,302	20,750	97.41
31	D.& Nagar Haveli	32,783	27,088	82.63
32	Delhi	169,528	144,948	85.50
33	Daman & Diu	22,091	21,529	97.46
34	Lakshadeep	5,351	5,337	99.74
35	Pondicerry	72,199	58,486	81.01

सं. 44/19/2004-डी(आरई)
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली-110001.
दिनांक 18 मार्च, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवासों के विद्युतीकरण की योजना

.....

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अंतर्गत 5 वर्षों में सभी को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवासों के विद्युतीकरण की योजना" को राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना दी जाती है ।

2. यह योजना रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी ।

3. इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत की 90% पूंजी, सब्सिडी के रूप में दी जाएगी ।

4. 10वीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के प्रथम चरण का कार्यान्वयन करने हेतु 5000 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी का वर्तमान अनुमोदन दिया गया है ।

5. राज्यों को विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होंगी तथा ग्रामीण एवं शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए ।

6. योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडी की पात्रता के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व राज्यों से निम्न प्रतिबद्धताएं प्राप्त करनी होंगी:

(i) इस योजना के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति, एवं
(ii) जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अपेक्षित है, राज्य संगठनों को अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान

7. योजना का कार्यक्षेत्र

योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडी के साथ निम्न प्रावधान करने के लिए वित्तपोषित किया जा सकता हैः-

7.1 ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी)

- ब्लाकों में उपयुक्त क्षमता एवं लाइनों के साथ 33/11 केवी (या 66/11 केवी) उप-केंद्रों का प्रावधान, जहां ये विद्यमान नहीं है ।

7.2 ग्राम विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाओं (वीईआई) का सर्जन

- अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण ।
- अविद्युतीकृत वास-स्थलों का विद्युतीकरण ।
- विद्युतीकृत गांवों/वास-स्थलों में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान ।

7.3 विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति

- ऐसे गांवों के लिए जहां ग्रिड से जोड़ना या तो व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, बशर्ते कि इन्हें गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 25,000 गांवों के अपने दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकरण के लिए शामिल न किया गया हो, परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रित उत्पादन एवं वितरण ।

7.4 आरईडीबी, वीईआई एवं डीडीजी कृषि एवं निम्नलिखित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगाः -

- सिंचाई पंपसेट
- लघु एवं मध्यम उद्योग
- खादी एवं ग्राम उद्योग
- कोल्ड चेन
- स्वास्थ्य देखभाल
- शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार के सर्जन एवं गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा ।

7.5 गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण:

सभी ग्रामीण वास स्थलों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार उन्हें 100% पूंजी सब्सिडी से वित्तपोषित किया जाएगा । गरीबी रेखा से ऊपर के आवासों के स्वामियों को अपने कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभार का भुगतान करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी ।

पैराग्राफ 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 मिलाकर घटकों की समग्र सब्सिडी पूर्ण रूप से परियोजना लागत के 90% के अंदर रखी जानी चाहिए । सभी गांवों एवं आवासों के लिए विभिन्न घटकों का समग्र लागत अनुमान **अनुलग्नक-I** में दिया गया है ।

7.6 यह परियोजना पूरे देश के लिए है । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों एवं मकानों, जहां बिजली पहुंच गई है, का विवरण **अनुलग्नक-II** एवं **अनुलग्नक-III** में दिया गया है ।

8. फ्रैंचाइजी

फ्रैंचाइजी, जो गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), उपभोक्ता संघ, सहकारी समितियां या व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं, के जरिए ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में, पंचायत संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा । फ्रैंचाइजी व्यवस्था उप केंद्र से और उससे बाहर अथवा वितरण ट्रांसफार्मर और वहां से फीडरों की प्रणाली के लिए की जा सकती है ।

9. राजस्व प्रवाह

उपभोक्ता मिश्रण एवं वर्तमान उपभोक्ता शुल्क एवं संभावित लोड के आधार पर फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क (बीएसटी), उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद तय किया जाएगा । जहां भी व्यवहार्य है, बीएसटी तय करने के लिए बोली के प्रयास किए जाएंगे । राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) को राज्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत उनके राजस्व अपेक्षा प्रस्तावों में एवं शुल्क निर्धारण के लिए थोक आपूर्ति शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा । यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को एसईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क पर बिजली देना चाहती है तो उन्हें राज्य संगठनों को विद्युत

अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित राजस्व सब्सिडी प्रदान करनी होगी । योजना को लागू करते समय राज्य सरकारों से निम्न के बारे में पूर्व प्रतिबद्धताएं ले ली जाएं:-

(क) फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके ।

(ख) जैसा कि विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है राज्य संगठनों को राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान ।

10. इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी आरईसी के माध्यम से दी जाएगी । ये पात्र परियोजनाएं उपर्युक्त दर्शाई गई शर्तों को पूरा करने के बाद कार्यान्वित की जाएंगी । उपर्युक्त शर्तों के अनुसार यदि परियोजनाएं संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं की जाती तो पूंजी सब्सिडी को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है ।

11. ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की सेवाएं राज्य सरकारों को उनकी इच्छा एवं आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाएंगी । कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन क्षमताओं में संवर्धन की दृष्टि से आरईसी ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. एवं दामोदर वैली कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जो राज्य इनकी सेवाओं का प्रयोग करने के इच्छुक हों वे इनकी परियोजना प्रबंधन की सुविज्ञता एवं क्षमताओं का लाभ उठा सकें । इसका एक समुचित त्रिपक्षीय करार के जरिए प्रचालन किया जा रहा है ।

12. इस योजना के अंतर्गत कुल सब्सिडी की 1% तक की राशि संबद्ध कार्य/अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण, सूचना प्रणाली विकास से संबंधित कार्यक्रम के प्रयासों, जागरूकता एवं अन्य प्रशासनिक एवं संबद्ध व्ययों तथा इस ग्राम विद्युतीकरण योजना के प्रायोगिक अध्ययन एवं पूरक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं ।

13. इस योजना में वर्तमान "एक लाख गांवों एवं एक करोड़ मकानों का त्वरित विद्युतीकरण" की योजना एवं "ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" का विलय हो जाएगा ।

14. यह योजना मूल्यांकन के अधीन होगी । 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के

लिए जिन सुधारों की आवश्यकता होगी, उनकी बृहत् समीक्षा 10वीं योजना के अंत में की जाएगी ।

15 उपर्युक्त योजना में शामिल खर्च को वर्ष 2004-05 के लिए विद्युत मंत्रालय- अनुदान सं. 73 के अधीन निम्नलिखित शीर्ष एवं बाद के वर्षों के लिए तदनुसार लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

2801	विद्युत (मुख्य शीर्ष)
06.796	ग्रामीण विद्युतीकरण -
3-	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन
03.00.33-	सब्सिडी

16 यह वित्त स्कंध की सहमति से उनकी डायरी सं. 3766/2005-जेएस एंड एफए, दिनांक 18 मार्च, 2005 द्वारा जारी किया जा रहा है ।

(अजय शंकर)
अपर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोनः 23715378

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव ।
2. सभी राज्यों के सचिव, विद्युत/ऊर्जा ।
3. सभी राज्यों (संगठनों) के अध्यक्ष ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, स्कोप कांप्लेक्स, नई दिल्ली ।

<u>प्रतिलिपि</u>

1. प्रधानमंत्री का कार्यालय, साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली ।
2. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, (योजना वित्त), नई दिल्ली ।
4. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।
5. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
6. सचिव, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली ।
7. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।
8. सचिव, पंचायती राज विभाग, नई दिल्ली ।
9. सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
11. एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, डीवीसी के प्रबंध निदेशक ।
12. सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (विद्युत)/अपर सचिव (जीसी) के निजी सचिव ।
13. विद्युत मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव/सभी निदेशक/सभी उप सचिव ।

(अजय शंकर)
अपर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोनः 23715378

<u>अनुलग्नक-I</u>

ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं गांवों के विद्युतीकरण की योजना

योजना का लागत अनुमान

करोड़ रुपये

1	125,000 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण बैक बोन (आरईडीबी) एवं ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाएं (वीईआई) तथा ग्रिड से सबसे दूर के आखिरी वाले 10% मकानों को विद्युतीकृत करने पर 6.50 लाख रु प्रति गांव की दर से खर्च	8,125
2	गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण (आरएचई) अर्थात् 7.8 करोड़ अविद्युतीकृत आवासों के 30% यानि 2.34 करोड़ आवासों को 1,500/- रु प्रति आवास/वास-स्थल की दर से कुटीर ज्योति कनेक्शन प्रदान करने पर खर्च	3,510
3	अविद्युतीकृत वास-स्थलों वाले पहले से विद्युतीकृत गावों में बैक बोन नेटवर्क के संवर्धन हेतु 4.62 लाख गांवों के लिए एक लाख रु. प्रति गांव की दर से	4,620 16,255
	योजना के लिए परिव्यय	16,000
	मद सं. 1 एवं 3 के लिए 90% की दर से एवं मद सं. 2 के लिए 100% की दर से सब्सिडी घटक	14,750
	सब्सिडी घटक, जिसे परिव्यय के 1% की दर से अलग रखा जाना है, ताकि प्रौद्योगिकी विकास आदि गतिविधियां चलाई जा सकें ।	160

****

अनुलग्नक- II

31.3.2004 को ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों की सं.	विद्युतीकृत गांवों की कुल सं.	शेष अविद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत गांवों का %
1	आंध्र प्रदेश	26586	26565	$	100
2	अरुणाचल प्रदेश	3649	2335	1314	64
3	असम	24685	19081	5604	77.30
4	बिहार	38475	19251	19224	50
5	झारखण्ड	29336	7641	21695	26
6	गोवा	360	360	-	100
7	गुजरात	18028	17940	$	100
8	हरियाणा	6759	6759	-	100
9	हिमाचल प्रदेश	16997	16891	106	99.38
10	जम्मू एवं कश्मीर	6477	6301	176	97.28
11	कर्नाटक	27066	26771	295	98.91
12	केरल	1384	1384	-	100
13	मध्य प्रदेश	51806	50474	1332	97.43
14	छत्तीसगढ़	19720	18532	1188	94
15	महाराष्ट्र	40412	40351	$	100
16	मणिपुर	2182	2043	139	93.63
17	मेघालय	5484	3016	2468	55
18	मिजोरम	698	691	7	99
19	नगालैंड	1216	1216	-	100
20	उड़ीसा	46989	37663	9326	80.15
21	पंजाब	12428	12428	-	100
22	राजस्थान	37889	37276	613	98.38
23	सिक्किम	447	405	42	90.60
24	तमिलनाडु	15822	15822	-	100
25	त्रिपुरा	855	818	37	95.67
26	उत्तर प्रदेश	97122	57042	40080	58.73
27	उत्तरांचल	15681	13131	2550	83.73
28	पश्चिम बंगाल	37910	31705	6205	83.63
	जोड़ (राज्य)	586463	473892	112401	80.80
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1093	1090	$	100 %
	अखिल भारतीय	587556	474982	112401 *	80.80 %

$ शेष गांव विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं

* ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा (2004-05 से प्रभावी) के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या 1,25,000 के आसपास होने का अनुमान है ।

****

अनुलग्नक- **III**

बिजली वाले मकान(ग्रामीण)- 2001 जनगणना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवासों की कुल संख्या	बिजली वाले आवास	विद्युतीकृत आवासों का %
	अखिल भारतीय	**138,271,559**	**60,180,685**	**43.52**
1	आंध्र प्रदेश	12,676,218	7,561,733	59.65
2	अरुणाचल प्रदेश	164,501	73,250	44.53
3	असम	4,220,173	697,842	16.54
4	बिहार	12,660,007	649,503	5.13
5	झारखण्ड	3,802,412	379,987	9.99
6	गोवा	140,755	130,105	92.43
7	गुजरात	5,885,961	4,244,758	72.12
8	हरियाणा	2,454,463	1,926,814	78.50
9	हिमाचल प्रदेश	1,097,520	1,036,969	94.48
10	जम्मू एवं कश्मीर	1,161,357	868,341	74.77
11	कर्नाटक	6,675,173	4,816,913	72.16
12	केरल	4,942,550	3,238,899	65.53
13	मध्य प्रदेश	8,124,795	5,063,424	62.32
14	छत्तीसगढ़	3,359,078	1,548,926	46.11
15	महाराष्ट्र	10,993,623	7,164,057	65.17
16	मणिपुर	296,354	155,679	52.53
17	मेघालय	329,678	99,762	30.26
18	मिजोरम	79,362	35,028	44.14
19	नगालैंड	265,334	150,929	56.88
20	उड़ीसा	6,782,879	1,312,744	19.35
21	पंजाब	2,775,462	2,482,925	89.46
22	राजस्थान	7,156,703	3,150,556	44.02
23	सिक्किम	91,723	68,808	75.02
24	तमिलनाडु	8,274,790	5,890,371	71.18
25	त्रिपुरा	539,680	171,357	31.75
26	उत्तर प्रदेश	20,590,074	4,084,288	19.84
27	उत्तरांचल	1,196,157	602,255	50.35
28	पश्चिम बंगाल	11,161,870	2,262,517	20.27
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	49,653	33,807	68.09
30.	चण्डीगढ़	21,302	20,750	97.41
31.	दादर एवं नगर हवेली	32,783	27,088	82.63
32.	दिल्ली	169,528	144,948	85.50
33	दमन एवं द्वीव	22,091	21,529	97.46
34	लक्षदीप	5,351	5,337	99.74
35	पांडिचेरी	72,199	58,486	81.01

****